



KANNAUJ POLICE



दिनांक:- 17, जुलाई 2025

प्रेस नोट- थाना इन्दरगढ़

थाना इन्दरगढ़ पुलिस द्वारा सेल्समैन के साथ मारपीट कर “लूट” की घटना कारित करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक कन्नौज विनोद कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज अजय कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तिर्वा डॉ प्रियंका बाजपेयी के कुशल मार्गदर्शन में थाना इन्दरगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 15.07.2025 को सेल्समैन के साथ मारपीट कर “लूट” की घटना कारित करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण :- दिनांक 15.07.2025 की रात समय करीब 22.15 बजे थाना इन्दरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मझिला में देशी शराब व सरकारी बियर की दुकान के सेल्समैन अमरनाथ पुत्र सिपाहीलाल नि0 ग्राम जैतापुर थाना ठठिया जिला कन्नौज के साथ मारपीट कर दुकान पर बिक्री के रुपये लूट लेने के सम्बन्ध मे देशी शराब व सरकारी बियर के दुकान के मालिक वैभव चतुर्वेदी पुत्र अरविन्द चतुर्वेदी निवासी ग्राम कौलेपुरवा थाना ठठिया जनपद-कन्नौज ने दिनांक 16.07.2025 को थाना इन्दरगढ़ पर मु0अ0सं0 162/2025 धारा 309(6) बीएनएस बनाम 1. दीपक पुत्र सुशील पता अज्ञात 2. दो अन्य नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम मे अभियुक्तगण 1. दीपक कुशवाहा उर्फ फुलौरी पुत्र सुशील कुशवाहा निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ़ जिला कन्नौज उम्र करीब 19 वर्ष 2. रोहित पुत्र शिवप्रकाश निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ़ जिला कन्नौज उम्र करीब 27 वर्ष 3. राघव सिंह उर्फ जितेश पुत्र तेजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ़ जिला कन्नौज 4. रौनक खाँ पुत्र नाजिस खाँ निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ़ जिला कन्नौज का नाम प्रकाश में आया । दिनांक 16.07.2025 को संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त दीपक कुशवाहा उर्फ फुलौरी पुत्र सुशील कुशवाहा निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ़ जिला कन्नौज उम्र करीब 19 वर्ष को थाना इन्दरगढ़ क्षेत्र स्थित कटैया पुल के पास से व अभियुक्त रोहित पुत्र शिवप्रकाश निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ़ जिला कन्नौज उम्र करीब 27 वर्ष को थाना इन्दरगढ़ क्षेत्र के हरईपुर मोड़ तिर्वा रोड से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है । थाना इन्दरगढ़ पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

1. दीपक कुशवाहा उर्फ फुलौरी पुत्र सुशील कुशवाहा निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ जिला कन्नौज उम्र करीब 19 वर्ष ।
2. रोहित पुत्र शिवप्रकाश निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ जिला कन्नौज उम्र करीब 27 वर्ष ।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण :-

1. राघव सिंह उर्फ जितेश पुत्र तेजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ जिला कन्नौज ।
2. रौनक खाँ पुत्र नाजिस खाँ निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ जिला कन्नौज ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण :-

1. दीपक कुशवाहा उर्फ फुलौरी पुत्र सुशील कुशवाहा निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ जिला कन्नौज उम्र करीब 19 वर्ष ।
 1. मु0अ0सं0- 162/2025 धारा 309(6) बीएनएस थाना इन्दरगढ जिला कन्नौज ।
2. रोहित पुत्र शिवप्रकाश निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ जिला कन्नौज उम्र करीब 27 वर्ष ।
 1. मु0अ0स0 157/24 धारा 380/457/411 भादवि थाना इन्दरगढ जनपद कन्नौज ।
 2. मु0अ0स0 201/21 धारा 498ए,323,504,506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज ।
 3. मु0अ0स0 274/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ठठिया जनपद कन्नौज ।
 4. मु0अ0सं0 140/2025 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना इन्दरगढ जनपद कन्नौज ।
 5. मु0अ0सं0 162/2025 धारा 309(6) बीएनएस थाना इन्दरगढ जनपद कन्नौज ।

बरामदगी का विवरण :-

1. लूटे गये रूपयो में से 66200/- रूपये ।
2. एक अदद मोटर साइकिल होण्डा SP 125-UP77AJ9506 ।
3. एक बैग काला नीला रंग

पूँछताछ का विवरण :- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूँछताछ पर बताया कि दिनांक 15/07/25 को हम चारों लोगों (दीपक, राघव सिंह उर्फ जीतेश, रौनक खाँ व रोहित) ने मिलकर देशी शराब ठेका मझिला के सेल्समेन के साथ लूट करने की योजना बनाई थी इस घटना के लिए हम लोगो ने अपने ही गांव के अवनीश कुमार उर्फ बिल्टू पुत्र सन्त सिंह की मोटर साइकिल होण्डा SP 125 (UP 77 AJ 9506) घूमने जाने की कहकर मांग ली थी फिर हम चारो लोग ठेका के आस पास घूमकर रेकी कर ठेका बन्द होने का इन्तजार करने लगे कि जैसे ही सेल्समेन ने समय करीब 10 वजे रात शराब ठेका बन्द किया और अपनी पीठ पर बैग टांगकर अपनी मोटर साइकिल से इन्दरगढ की ओर चल दिया उसके जाने के कुछ देर बाद हम चारो भी मोटर साइकिल पर सवार होकर सेल्समेन का पीछा करने लगे हम लोगो ने रास्ते से एक लकड़ी का डण्डा ले लिया था देशी शराब ठेका से करीब 01 किलोमीटर निकलने के बाद हम लोगो ने सेल्समेन को मोटर साइकिल रोकने का इशारा किया लेकिन सेल्समेन ने अपनी मोटर साइकिल नहीं रोकी और मोटर साइकिल तेज कर दी तब रौनक ने सेल्समेन के सिर मे पीछे से डण्डा मार दिया सेल्समेन चोट खाकर मोटर साइकिल सहित गिर गया तभी हम चारो लोगों ने मिलकर उसकी पीठ पर टंगे बैग को लूट लिया। और अपनी मोटर साइकिल से हम चारो लोग इन्दरगढ की तरफ चलकर रामपुर होते हुए नेकापुर गांव पहुचे नेकापुर पुलिया से मुडकर आगे चलकर हिम्मतपुर मोड़ के पास पहुँचकर बैग को खोलकर देखा तो बैग मे खाने पीने का सामान व आलू, सेंवई, दाल, नमक, चीनी आदि पानी मे फेंक दिया था तथा बैग मे रखे रूपयों को आपस मे बांट लिया था। सभी अपना अपना हिस्सा लेकर इधर उधर निकल गये आज हम सभी लोग बाहर जाने की फिराक मे थे।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. थानाध्यक्ष उ0नि0 पारूल चौधरी थाना इन्दरगढ जनपद कन्नौज
2. उ0नि0 सुरेशचन्द्र थाना
3. का0 दिनेश सिंह
4. का0 पुष्पेन्द्र सिंह
5. का0 दिलीप कुमार
6. का0 आरिफ कुरैशी
7. का0 पवन दीक्षित
8. म0का0 प्रजा

